**बिहार लोक सेवा आयोग**
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना– 800001

**आवश्यक सूचना**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के अधीन बिहार पशुपालन सेवा वर्ग–2 के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 11/2004 के एक उम्मीदवार डा० सुमन नाथ मिश्र, अनुक्रमांक 263, स्थायी पता– पिता– स्व० उपेन्द्र नाथ मिश्र, ग्राम+पोस्ट– माधवपुर, भाया– नयागाँव, जिला– खगड़िया (बिहार) पिन कोड– 851215 को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन हेतु निर्धारित दिनांक 19.04.2014 से 22.04.2014 तक के साक्षात्कार के लिए उन्हें आयोग द्वारा **C.W.J.C. No. 4934/2005,** सुमन नाथ मिश्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 23.08.2010 को पारित आदेश के आलोक में अयोग्य करते हुए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है। इस आशय की लिखित सूचना उन्हें इस कार्यालय द्वारा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए स्थायी एवं पत्राचार के पता पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है। उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अद्योहस्ताक्षरी से मोबाईल संख्या– 9431444544 पर अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें। आप कार्यालय से सम्पर्क कर उक्त पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

संचिका संख्या– 5/प्र०नि०–03–01/2006

**बिहार लोक सेवा आयोग**

ज्ञापांक ......34....../लो०से०आ०, पटना, दिनांक ..07.04.. /2014

प्रेषक,

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सेवा में,

| स्थायी पता:– | वर्तमान पता:– |
|---|---|
| सुमन नाथ मिश्र (अनुक्रमांक– 263) | सुमन नाथ मिश्र (अनुक्रमांक– 263) |
| पिता-- स्व० उपेन्द्र नाथ मिश्र, | प्रथम मकान, |
| ग्राम+पोस्ट– माधवपुर, | दाहिने तरफ, |
| भाया– नयागाँव, | जे०पी० मार्ग, |
| जिला– खगड़िया, बिहार | काँके रोड, |
| पिन कोड– 851215 | राँची– 834008 (झारखण्ड) |

विषयः पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के अधीन बिहार पशुपालन सेवा वर्ग–2 के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 11/2004 के लिए आयोग द्वारा आयोजित दिनांक 19.04.2014 से 22.04.2014 तक होने वाले साक्षात्कार में आपको सम्मिलित होने हेतु आयोग के ज्ञापांक 11714/लो०से०आ०, पटना, दिनांक 12.03.2014 द्वारा निर्गत साक्षात्कार पत्र एवं आपकी उम्मीदवारी को **C.W.J.C. No. 4934/2005,** सुमन नाथ मिश्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 23.08.2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि वि०सं०–11/2004 प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आपने आवेदन दिया था, जिसमें आपको अनुक्रमांक 263 आवंटित किया गया था। उपर्युक्त विज्ञापन के आवेदन की कंडिका– 5 में आपके द्वारा अपनी जन्म तिथि दिनांक 23.01.1969 अंकित की गई है। आवेदन की कंडिका– 2 में आपने अनारक्षित वर्ग (01) का होने का दावा किया है। विज्ञापन की शर्त्तों के अनुसार अनारक्षित वर्ग (01) के लिए दिनांक 01.08.2004 तक अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित थी। इसके अनुसार आपकी उम्र विज्ञापन में निर्धारित तिथि दिनांक 01.08.2004 को 35 वर्ष 6 महीना 9 दिन थी। इस तरह आपकी उम्र 6 महीना 9 दिन अधिक होने के कारण आपको पूर्व में आयोग द्वारा अनर्हित किया गया था। इसके विरूद्ध आपने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका **C.W.J.C. No. 4934/2005,** सुमन नाथ मिश्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.04.2005 को निम्नलिखित अन्तरिम आदेश पारित किये गये थे:– **"As such, an interim direction to the B.P.S.C to hold the interview of the petitioner & consider his candidature along with others also be issued without any right accruing to the petitioner & his candidature would finally be declared after the result of the present writ application."-**

2. उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में दिनांक 03.05.2005 को आपको उक्त विज्ञापन के तहत साक्षात्कार में सम्मिलित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 11.05.2005 को अंतिम रूप से प्रकाशित साक्षात्कार परिणाम में आप सफल घोषित नहीं हुए थे। इस आशय का प्रतिशपथ पत्र आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया था, जिसके आलोक में माननीय उच्च

न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 23.08.2010 को उपर्युक्त रिट याचिका में निम्नलिखित अंतिम आदेश पारित कर रिट याचिका को खारिज **(dismiss)** कर दिया गया था:– **"In view of the statement made in paragraph 10 of the Counter Affidavit filed on behalf of respondent nos. 3 to 5, case of the petitioner has no merit. This writ application is dismissed as such."**

3. कार्यालय द्वारा भूलवश आपको दिनांक 13.10.2012 की स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल कर लिया गया था, जिसमें आप सफल घोषित किये गये थे एवं उक्त विज्ञापन के लिए पुर्ननिर्धारित साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको आयोग के ज्ञापांक– 11714/लो०से०आ०, पटना, दिनांक 12.03.2014 द्वारा दिनांक 20.04.2014 को आयोजित साक्षात्कार में भाग लेने हेतु साक्षात्कार पत्र निर्गत कर दिया गया था।
4. पुनः कार्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 23.08.2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि अधिक उम्र होने के कारण आप उपर्युक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने योग्य नहीं हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में उपर्युक्त विज्ञापन में दिनांक 20.04.2014 को आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु आयोग के ज्ञापांक 11714/लो०से०आ०, पटना, दिनांक 12.03.2014 द्वारा निर्गत साक्षात्कार पत्र को रद्द करते हुए आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाती है।

16/4/14

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।